फर्द अहकाम

मुरलीधर बनाम काना व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 37/ 2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/11/24	आज दिनांक 12/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/ ~~कार्य बहिष्कार~~ किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नही की जा सकी। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/ ~~अवकाश पर~~ है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/24 को पेश हों।	
	22/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण 14,15 उपस्थित। जवाब प्रार्थनापत्र टी. आई. हेतु अधिवक्तागण अप्रार्थीगण 14,15 द्वारा अवसर चाहा गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण सं. 01 ता 11/3 बावजूद प्रेषित / प्राप्त सी. नोटिस दिनांक 02.08.24 के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए हैं, ना ही प्रार्थनापत्र टी. आई. का किसी भी मान्य / औपचारिक स्तर पर कोई खंडन अथवा कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत की गई है। निर्धारित अधिकतम समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थीगण 01 ता 11/3 की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीगण सं. 01 ता 11/3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जाते हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही / जवाब प्रा. पत्र टी. आई. अप्रार्थीगण 14, 15 दिनांक 27/11/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	27/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी 15 की ओर से जवाब प्रा. पत्र टी. आई. प्रस्तुत किया गया शामिल मिसल। अप्रार्थी-14 की ओर से मिसल अवलोकन उपरान्त भी जवाब प्रा.पत्र	

P.T.O.

फर्द अहकाम

मुरलीधर बनाम काना व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 37/ (प्रा. पत्र टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/11/24	टी. आई. प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः जवाब अप्रार्थी 14 बंद किया जाता है। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी की ओर से बाके ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की अंकित खातेदारी की भूमि खसरा नं. 565, 566, 590, 595, 598, 599, 600, 612, 613, 614, 615, 738 ता 746, 752, 753, 754, 757 ता 761 कुल खसरा किता 28 कुल रकबा 5.66 है. के सम्बन्ध में बाबत मीट्स एंड बाउण्ड्स विधिक विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत उल्लेखित भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा दर्ज / निहित है। प्रार्थी की खातेदारी की अत उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन हेतु प्रस्तुत वादपत्र एवं उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन होने तक मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र टी. आई. के संदर्भ में जवाब अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की उज्र आपत्ति हेतु अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किए जाने व नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी मुख्य अप्रार्थीगण सं. 01 ता 11/3 की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी. आई. का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई समुचित अथवा औपचारिक खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में मात्र औपचारिक पक्षकार सं. 14, 15 की ओर से औपचारिक जवाब मात्र ... गया है। जिसका प्रकरणाधीन ... के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मुरलीधर बनाम कानां व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर [प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा]

केस संख्या 37/20

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	27/11/24	किए जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने से अप्रार्थीगण सं. 14 व 15 (बैंक) के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त अप्रार्थीगण को भूमि (हिस्सा) रहन (प्रार्थी व अप्रार्थी-10) होने के आधार पर अप्रार्थीगण पक्षकार स्थापित किया गया है। प्रकरण अविभाजित हिस्सेदारीता अनुसार भूमि के विधिक विभाजन मांग से सम्बन्धित है। जिससे वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अविभाजित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 565, 566, 590, 595, 598, 599, 600, 612 ता 615, 738 ता 746, 752, 753, 754, 757 ता 761 कुल खसरा किता 28 कुल रकबा 5.66 है. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। अप्रार्थी-15 द्वारा (ICICI बैंक) अप्रार्थी बैंक के हितों को दृष्टिगत व सुरक्षित रखते हुए उचित आदेश पारित किए जाने बाबत निवेदन किया गया। अन्य किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अप्रार्थी-15 की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की ओर से स्वयं की अविभाजित खातेदारी / हिस्सेदारी की भूमि के विधिक विभाजन के संदर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। साथ ही भूमि का विधिक विभाजन होने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम / संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.07.24 को पारित किया गया है। जो आज दिनांक तक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

मुरलीधर बनाम कानां व अन्य

संख्या /वर्ष 37/2024 (प्रा.पत्र टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/11/24	प्रभावी है। उक्त संदर्भ में कोई उज्र आपत्ति अथवा कोई समुचित खंडन व जवाब किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु मुख्य अप्रार्थीगण क्र. 01 ता 13 की ओर से तो बावजूद विधिवत प्राप्ति सूचना नोटिस व समन जानकारी के न्यायालय हाजा में उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित किए जा चुके हैं। प्रकरण में एकमात्र अप्रार्थी (औपचारिक अप्रार्थी) आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जो खंडन न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह औपचारिक खंडन मात्र है। प्रार्थनापत्र टी.आई. के निर्णय का कोई विपरीत प्रभाव अप्रार्थीगण 14, 15 (बैंक) के हितों पर नहीं पड़ता है। अतः इस प्रकार चूंकि प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा किसी भी मान्य समुचित स्तर पर वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का कोई खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है तथा न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत भी भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते हैं। अतः न्यायहित व वादबहुलता के दृष्टिगत तथा प्रकरण के संदर्भ में किसी भी प्रकार की उज्र आपत्ति व समुचित खंडन के अभाव के आधार पर पूर्व अंतरिम [illegible] आदेश दिनांक 05.07.24 ता[illegible] मूलवाद स्थाई किया जाकर [illegible] को जरिये निषेधाज्ञा के	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:56:11 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपु

मुरलीधर बनाम काना व अन्य
(टी. आई.)

प्रा. पत्र सं. 37/2024

क्रं.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/11/24	पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम सिरोही तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाके अराजी भूमि आ.स. नं. 565, 566, 590, 595, 598, 599, 600, 612 ता 615, 738 ता 746, 752, 753, 754, 757 ता 761 कुल रकबा किता 28 कुल रकबा 5.66 है. की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। विरासत नामान्तकरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील के शामिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:11 IST
Reason: SelfAttested